

**पूर्वोत्तर रेलवे
अधिसूचना**

रेलवे बोर्ड के परिपत्र सं० ई/(एनजी) ११/२००७/आरसी-०४/सीओआरई/१ दिनोंक १६.१०.२०१७, १२.१२.२०१७, में निहित निर्देशों के आधार पर महाप्रबन्धक महोदय के अनुमोदनोपरान्त गोरखपुर मुख्यालय इकाई के ३३ रिक्तियों को भरने के लिए दिनोंक ०१.०७.२०१९ को अधिसूचना जारी किया गया था । जिसमें १० सेवा निवृत्त कर्मचारी री-इंगेजमेंट हेतु योग्य पाये गये थे शेष २३ पदों पर सेवानिवृत्त कर्मचारी से (दिनोंक ३१.१०.२०१९ तक के सेवा निवृत्त कर्मचारी) मासिक परिश्रमिक के आधार पर निम्नलिखित पदों पर री- इंगेजमेंट करने का निर्णय लिया गया है।

क्र. सं.	विभाग	संवर्ग	रिक्त पदों की सं०
1	कार्मिक +	स्टेनोग्राफर	22
	विधि	स्टेनोग्राफर	01
		योग=	23

अतः उपरोक्त पद के विरुद्ध अधिवर्षिता के पश्चात् सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों से री-इंगेजमेंट पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, जिनकी शर्तें निम्नवत हैं:-

- (I) इस अधिसूचना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि १०.११.२०१९ को आवेदक की उम्र ६५ वर्ष कम होनी चाहिए।
- (II) यह री-इंगेजमेंट पीएचओडी के द्वारा संतोषजनक वर्किंग रिपोर्ट/अनुमोदन के आधार पर किया जा सकेगा । यह री-इंगेजमेंट रेल कर्मचारियों की आयु ६५ वर्ष पूर्ण होने पर अथवा दिनोंक ०१.१२.२०१९ की स्कीम अवधि अथवा आवश्यकता न होने पर अथवा आरआरसी/आरआरबी से कर्मचारी उपलब्ध होने पर अथवा विभागीय नामिका प्राप्त होने पर जो पहले हो तक ही सिमित रहेगा ।
- (III) री-इंगेजमेंट के समय अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त कर्मों को चिकित्सकीय रूप से फिट होना चाहिए।
- (IV) री-इंगेजमेंट कर्मचारियों को मासिक परिश्रमिक व भत्ते रेलवे बोर्ड के पत्र सं० ई/(एनजी) ११/२००७/आरसी/कोर/१ दिनोंक १६.१०.२०१७ एवं समय-समय पर रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों/शर्तों से शासित होंगे। इन्हें इसके अलावा अन्य कोई भी रेल सुविधा देय नहीं होगी
- (V) री- इंगेजमेंट किये गये भू०पू० कर्मचारियों की सेवा कभी भी बिना नोटिस के समाप्त की जा सकती हैं।
- (VI) ऐसे आवेदक जिन्होंने अधिसूचना के पूर्व ही अपने आवेदन दिये हैं वे पुनः निर्धारित प्रारूप में आवश्यक संलग्न के साथ आवेदन प्रेषित करें।
- (VII) महाप्रबन्धक (कार्मिक) कार्यालय गोरखपुर के परिवाद कक्ष में इसके लिए ०१ बाक्स भी रखा गया है, जिसमें आवेदन डाला जा सकता है, तथा इच्छुक अभ्यर्थी रजिस्टर डाक से परिवाद कक्ष महाप्रबन्धक कार्मिक पूजरे गोरखपुर पिन नम्बर २७३०१२ को भी आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन भेजने की अंतिम तिथि १०.११.२०१९ सायं १८:०० बजे तक है।
- (VIII) रिक्त के अनुसार संबंधित कैडर में अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त रेल सेवक ही आवेदन कर सकते हैं ।

क्रमशः...२/-

**पूर्वोत्तर रेलवे
आवेदन का प्रारूप**

रेलवे बोर्ड के पत्र सं० ई/(एनजी) 11/2007/आरसी-04/सीओआरई/1 दिनांक 12.12.2017, एवं महाप्रबन्धक (कार्मिक) पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर का अधिसूचना सं० का/227/1/सी-इगेजमेन्ट / भाग-VIII/2019 दिनांक 31.10.2019

1	नाम	
2	पिता का नाम	
3	जन्मतिथि	
4	सेवानिवृत्ति के समय पद	
5	आवेदित पद	
6	आशुलेखन भाषा	
7	कार्यालय जहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं	
8	सेवानिवृत्ति की तिथि	
9	लेवल	
10	अंतिम मूल वेतन	
11	पेंशन की रकम	
12	पत्राचार का पता	
13	सम्पर्क नम्बर (मोबाइल)	
14	संलग्न (हाँ/नहीं)	1. सेवा प्रमाण पत्र 2. पेंशन भुगतान आदेश

मेरी जानकारी में उपर दिये गये सभी विवरण सही एवं सत्य है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि पुर्ननियोजन के पश्चात रेलवे बोर्ड /महाप्रबन्धक (कार्मिक) पूउरे गोरखपुर द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले नियम एवं शर्तों का पालन करुगी/करुगा ।

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम -

पत्रचार का पता

.....
.....
.....

- (XI) इसके लिए स्थानीय समाचार पत्रों में भी अधिसूचना जारी की जा रही हैं।
(X) यह स्कीम दिनांक 01.12.2019 तक होगी तत्सम्बन्धी रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।
(XI) आवेदन का प्रारूप संलग्न है।
(XII) वे कर्मचारी इस अधिसूचना में आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे जो शैक्षिक सेवानिवृत्ति लिये हैं या डीएआर के अन्तर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्त हैं।

अतः दिनांक 10.11.2019 तक, अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी जो मुख्यालय इकाई/गोरखपुर में मासिक परिश्रमिक के आधार पर कार्य करने के लिए इच्छुक अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्राफार्मा पर (सेवा प्रमाण पत्र एवं पीपीओ के साथ) दिनांक 10.11.2019 तक महाप्रबन्धक /कार्मिक पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर को प्रेषित करें।

वकाधि/मुख्यालय
कृते महाप्रबन्धक (कार्मिक)

सं० का/227/1/री-इगेजमेन्ट/भाग-VIII/2019

दिनांक 31.10.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर महाप्रबन्धक/पूरे गोरखपुर।
2. मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी पूरे गोरखपुर कृपया उक्त अधिसूचना को स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में अधिसूचित करने की व्यवस्था करें।
3. सचिव/महाप्रबन्धक पूरे गोरखपुर।
4. सकाधि/मुख्यालय- II। इस आशय से प्रेषित अधिसूचना का रेलवे के वेबसाईड पर अपलोड करना सूचित करें।
5. महामंत्री/नरमू, महामंत्री/अजा एवं अजजा को ओवीसी एसोसिएशन/गोरखपुर
6. नोटिस बोर्ड हेतु।

कृते महाप्रबन्धक (कार्मिक)